



झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राँची
Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi
D.I.E.T. Campus, Ratu, Ranchi-835222, e-mail: jcert.ran@gmail.com

पत्रांक: जे.सी.ई.आर.टी./प्रशि.3-4/2025 ४०० राँची, दिनांक: 23/06/2025

प्रेषक:

शशि रंजन भा.प्र.से.

निदेशक

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
सभी जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रसंग: सचिव कोषांग ME/01/1321/2025/1580 दिनांक: 23.04.2025,
कंडिका-11

विषय: J-Guruji App पर Split Syllabus के आधार पर शिक्षकों द्वारा संपादित
कक्षाओं की जानकारी को संधारित/प्रविष्ट करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि राज्य अंतर्गत संचालित सभी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (SoE) तथा 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा सिलेबस कवरेज की स्थिति का समुचित संकलन सुनिश्चित करने हेतु J-Guruji App पर Split Syllabus के अनुसार प्रविष्टियों की तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

इस प्रणाली के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर प्रत्येक शिक्षक द्वारा अपनी संबंधित कक्षाओं की सिलेबस कवरेज की अद्यतन जानकारी (माह अप्रैल एवं जून 2025 सहित) J-Guruji App में प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है।

J-Guruji App पर Split Syllabus के अनुसार प्रविष्टि से संबंधित यूजर मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है, जिससे शिक्षकों को प्रक्रिया की सुस्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ सभी विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों को निम्नानुसार निर्देशित करें:-

1. सभी शिक्षक अपने-अपने विषय/कक्षा की सिलेबस कवरेज स्थिति को J-Guruji App में समयबद्ध रूप से प्रविष्ट करें।
2. प्रविष्टि के उपरांत विद्यालय प्रमुख द्वारा उक्त जानकारी को App के माध्यम से अनुमोदित (Approve) किया जाना अनिवार्य है।

आपसे अपेक्षा है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि राज्य स्तर पर सिलेबस मॉनिटरिंग प्रणाली को प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया जा सके।

विश्वासभाजन

(शशि रंजन)

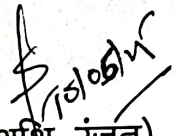
निदेशक

ज्ञापांक: जे.सी.ई.आर.टी./प्रशि.3-4/2025 ४ ३ ३ राँची, दिनांक:.....१९/०६/२०२५

प्रतिलिपि: 1. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

2. राज्य परियोजना निदेशक, झा.शि.प.प./निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

3. सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्/सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।


(शशि रंजन)
निदेशक